कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्रमांक-841/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 09.04.2021

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी एस.ओ.पी. क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 द्वारा ऐसे स्थान जहाँ लॉकडाउन/शटडाउन घोषित किया गया है को छोड़कर समस्त न्यायालयों द्वारा अपना न्यायिक कार्य रूल्स एण्ड ऑर्डर में दिये गये समयानुसार करने एवं लॉकडाउन घोषित होने पर अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार सांय 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक लॉकडाउन रहने के संबंध में कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 3–4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 08 अप्रैल 2021 द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गये हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एस.ओ.पी. एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी उपरोक्त पत्र के अनुसार जिला होशंगाबाद के समस्त न्यायालयों (परिवार न्यायालय होशंगाबाद सहित) के लिए दिनांक 10.04.2021 से दिनांक 31.07.2021 तक प्रत्येक शनिवार को अकार्यदिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में समस्त न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) मुख्यालय पर ही आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

उक्तानुसार शनिवार को घोषित अवकाश में पूर्व से नियत प्रकरणों को आगामी कार्यदिवस में सुनवायी में लिया जाएगा।

यह आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेगा।

sd/-
आलोक अवस्थी
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृ0क्र0 842/दो–1–8/2019 होशंगाबाद, दिनांक 09.04.2021

प्रतिलिपि–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– समस्त न्यायाधीशगण जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

3– कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

4– लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

5– जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

6– अध्यक्ष/सचिव अभिभाषक संघ होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

7– प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

8– जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने बावत् प्रेषित्।

9– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट होशंगाबाद की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि वह समस्त संबंधितों को आदेश की प्रति ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर जिला न्यायालय होशंगाबाद की वेबसाईड पर अपलोड करें।

9-4-21

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद